

प्रेस नोट दिनांक 03-09-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने थाना ढेबरूआ, शोहरतगढ़, चिल्हिया व चौकी बढनी का किया औचक निरीक्षण, 31 पुलिसकर्मियों के वाहनों का चालान कर किया लाइन हाजिर।

आज दिनांक 03-09-2020 को श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना ढेबरूआ, शोहरतगढ़, चिल्हिया व चौकी बढनी का औचक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम महोदय द्वारा इन थानों पर स्थापित कोविड-19 हेल्प डेस्क की व्यवस्था देखी। निरीक्षण के दौरान थाना शोहरतगढ़ में 01 पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के मोटर साइकिल चलाता हुआ पाया गया तथा अन्य 30 पुलिसकर्मियों (बढनी चौकी से 01, ढेबरूआ से 09, शोहरतगढ़ से 13 व चिल्हिया से 07) के मोटर साइकिल में आगे की तरफ रजिस्ट्रेशन नं. अंकित होना नहीं पाया गया। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन सभी वाहनों (30 वाहन) का ई-चालान करवाया गया एवं इस संबंध में पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण उपरोक्त समस्त 31 पुलिसकर्मियों को अग्रिम आदेश तक पुलिस लाइन में ड्यूटी हेतु सम्बद्ध किया गया है। इन सभी पुलिस कर्मियों को आगामी शुक्रवार को होने वाले अर्दली रुम में प्रस्तुत करने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को आदेशित किया गया।

तदोपरान्त महोदय द्वारा कार्यालय/दिवसाधिकारी/सीसीटीएनएस कक्ष/ बैरक/ संतरी ड्यूटी आदि का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। थाने के विभिन्न अभिलेखों/रजिस्ट्रों का भी निरीक्षण गहनता से किया गया एवं अपूर्ण अभिलेखों/रजिस्ट्रों को पूर्ण करने हेतु प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष थाना ढेबरूआ, शोहरतगढ़ व चिल्हिया को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा मेस में काढ़ा बनाने व सभी कर्मियों को काढ़ा नियमित रूप से पीने तथा नियमित गर्म पानी से गरारे करने हेतु बताया गया। महोदय द्वारा थाने/चौकी पर नियुक्त कर्मचारीगण को किसी प्रकार की समस्या होने पर अपने उच्चाधिकारीगण को अवगत कराने तथा समस्या का समाधान न होने पर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने/संज्ञान में लाने हेतु बताया गया।

प्रेस नोट दिनांक 03.09.2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में, श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी, डुमरियागंज के निर्देशन तथा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, भवानीगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2020 को शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए कुल 04 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक 03.09.2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में श्री धर्मेन्द्र सचान, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में श्री सभाशंकर यादव, थानाध्यक्ष, थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में उ०नि० श्री उपेन्द्र राय व हे०का० हरीलाल यादव द्वारा कल दिनांक 02.09.2020 को मु.अ.सं. 121/2020 धारा 363/366/376/506 भा.द.वि. व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इरफान पुत्र अब्दुल बहाव साकिन बर्डपुर नं०- 12 टोला अम्बरपुर बनकटवा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर आज दिनांक 03.09.2020 को रिमाण्ड हेतु मा० न्यायालय सिद्धार्थनगर रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01-उ०नि० श्री उपेन्द्र राय

2-हेड कांस्टेबल हरीलाल यादव

प्रेस नोट दिनांक- 03/09/2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री धर्मेन्द्र सचान, क्षेत्राधिकारी, शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03.09.2020 को श्री सभा शंकर यादव, थानाध्यक्ष, थाना- चिल्हिया के नेतृत्व में मु0अ0सं0 109/2020 धारा- 363,366,376,313,506 IPC व 3(2)(v), 3(1)(W)(i)SC/ST ACT, 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त कमलेश सिंह पुत्र स्व0 विभूति सिंह निवासी-बेलवा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु न्यायालय रवाना किया।

गिरफ्तारी करने वाले टीम -

1. एसओ श्री सभाशंकर यादव
2. का0 सरोज कुमार यादव
3. का0 संदीप प्रजापति
4. का0 कौशल मौर्या

प्रेस नोट दिनांक 03-09-2020

पुलिस सदभावना खेल-कूद प्रतियोगिता के स्थगित होने के संबंध में

दिनांक 31-08-2020 को हुई प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बन्धुओं को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचित किया गया था कि दिनांक 04-09-2020 (शुक्रवार) को पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक पुलिस सदभावना खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी के निधन के कारण सात दिवसीय राजकीय शोक भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसके क्रम में दिनांक 04-09-2020 को प्रस्तावित उपरोक्त पुलिस सदभावना खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन अब दिनांक 11-09-2020 (शुक्रवार) को प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक किया जायेगा।

प्रेस नोट दिनांक 03.09.2020

श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण एवं श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बाँसी के नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2020 को श्री अंजनी कुमार राय, थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली जोगिया उदयपुर व प्रभारी आबकारी श्री अजय कुमार की सयुक्त टीम द्वारा ग्राम अजमागढ़ थाना जोगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर में अवैध रूप से शराब के निष्कर्षण के रोकथाम में आक्रामक रूप से चेकिंग किया गया। कुल 07 कुण्टल अवैध लहन नष्ट किया गया।

थाना जोगिया से टीम का विवरण-

एस0ओ0 अंजनी कुमार राय , उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार राय, उ0नि0 अशोक कुमार, हे0का0 तारकेश्वर यादव , हे0का0 रामनरेश , का0 गोबर्धन गुप्ता , का0 अभिनय यादव , का0 राजकिशोर यादव , मनीष कुमार , का0 रामकरन यादव का0 पवन कुमार मौर्या, का0 जितेन्द्र सिंह।

आबकारी टीम का विवरण-

निरीक्षक अजय कुमार मय टीम।

प्रेस नोट 03.09.2020

आज दिनांक 03.09.2020 को श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी, बांसी के पर्यवेक्षण में श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी मय हमराह के द्वारा ग्राम कटहा में हुए दहेज हत्या के संबंध में थाना कोतवाली बांसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 262/2020 धारा 498क/304बी भा०द०वि० व 3/4 डी०पी० एक्ट से संबंधित निम्न वांछित अभियुक्तगण को त्वरित कार्यवाही करते हुए 12 घण्टे के अन्दर ग्राम कटहा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1- पुनवासी पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम कटहा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. रंगवती पत्नी रामनरेश निवासी ग्राम कटहा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

- 1- शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी सिद्धार्थनगर ।
2. उपनिरीक्षक सर्वेशचंद
3. कांस्टेबल विकास सिंह
4. कांस्टेबल कैलाशनाथ यादव
5. म०का० पूजा सिंह
6. म०का० बबिता सिंह

प्रेस नोट दिनांक 03-09-2020

दिनांक 03-09-2020 नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत लगाए गए निषेधाज्ञा/लॉकडाउन तथा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं फर्टा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-03-09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 213 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 114 वाहनों का चालान कर कुल 1,36,700/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया ।